संख्या- 22/2016 / 4004 / चार-2015-23(ते0वि0आ0)/12

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी , 2016

विषय:- तेंरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कुसुम सरोवर एवं छतरी, गोवर्धन के संरक्षण एवं रेनोवेशन तथा विकास कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा में कुसुम सरोवर एवं छतरी, गोवर्धन के संरक्षण एवं रेनोवेशन तथा विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 1035.19 लाख का परीक्षण करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 987.22 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 414 /चार-2013-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 15 फरवरी, 2013 द्वारा धनराशि रू0 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 974 /चार-2013-23(ते0वि0आ0)/12 दिनांक 29 अप्रैल, 2014 द्वारा धनराशि रू0 250.00 लाख एवं शासनादेश संख्या- 33/ 1096 /चार-2013-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा धनराशि रू0 199.85 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 649.85 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी , तद्नुक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य आदि विषयक सापेक्ष शासनादेश संख्या- 414 /चार-2013-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 15 फरवरी, 2013 द्वारा तथा शासनादेश संख्या- 974 /चार-2013-23(ते0वि0आ0)/12 दिनांक 29 अप्रैल, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 33/ 1096 /चार-2013-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 24 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रतिबन्ध /शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक - 4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -आयोजनागत-04-कला तथा संस्कृति - 106-संग्रहालय-04- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन- 0401-ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों , संग्रहालयों के प्रतिरक्षण एवं सरंक्षण तथा प्रमुख विरासत स्थलों को जोडने वाली सड़को का सुदृीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015दिनांक 30 मार्च,2015 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या - 22/2016 / 4004 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, ग्लोबल कान्स्ट्राक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता एवं नोडल अधिकारी, ग्लोबल कान्स्ट्राक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण खण्ड-30 आगरा, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा।
8 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।